

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच।

पत्र संख्या: 756/जि0वि0से0प्रा0-पैनल/2024-25

दिनांक: 02.01.2025

सूचना/प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की योजना निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं, 2010 के अंतर्गत जनपद एवं तहसील के अधिवक्तागण से निम्न प्रारूप पर दिनांक 01.02.2025 तक प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, जो विधिक सेवा एवं परामर्श देने हेतु 03 वर्षों के लिये गठित होने वाले पैनल में शामिल होने के इच्छुक हो और आवंटित किये गये न्यायालय में लंबित मुकदमों में पैरवी करने हेतु नियमानुसार मानदेय देय होगा। उल्लेखनीय है कि 03 वर्षों से कम वकालत की अवधि वाले अधिवक्तागण आवेदन हेतु पात्र नहीं है।

आवेदन पत्र के साथ बार काउन्सिल में पंजीकरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं स्वयं की रंगीन फोटो संलग्न करके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के कार्यालय में दिनांक 01.02.2025 तक जमा कर सकते हैं। विस्तृत विवरण एवं अन्य जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालय समय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

(Signature) 2/1/25

अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
बहराइच।

प्रारूप

1. नाम अधिवक्ता:
2. पिता का नाम:
3. स्थायी पता:
4. वर्तमान पता (वर्तमान में मुख्यालय/
तहसीलों में बैठने का स्थान सहित)
5. दूरभाष/मोबाईल संख्या:
6. पंजीकरण संख्या एवं दिनांक (तीन वर्ष
से कम अवधि वाले आवेदन हेतु पात्र नहीं है)
(प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना है)
7. शैक्षणिक योग्यता:
8. वकालत का क्षेत्र जिसमें विधिक सेवा
देना चाहते हैं दीवानी, फौजदार, राजस्व,
परिवार न्यायालय, श्रम न्यायालय, औद्योगिक
न्यायाधिकरण आदि।
9. अन्य विवरण, यदि हो:

स्व प्रमाणित
नवीनतम फोटो

दिनांक:

आवेदक का नाम व हस्ताक्षर